क्रमांक 3488047 / प्र.प्रति. / 2018–19
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल –462003
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406
Email ID encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनॉक /10/2018

प्रति,

1. आयुक्त,
   कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,
   विश्वैश्वरैया भवन, भोपाल
2. मुख्य अभियंता, बोधी
3. समस्त मुख्य अभियंता ,
   .....कछार / परियोजना / पी.एम.यू.,
   जल संसाधन विभाग,
   .....(म.प्र.)

विषयः– प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 हेतु वांछित जानकारी बाबत।

विगत वर्षो की भांति इस वर्ष 2018–19 हेतु प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। कछार स्तरीय जानकारी में एकरूपता की दृष्टि से एक प्रारूप संलग्न है।एम. के.पी.एम.यू. राजगढ़ की जानकारी परियोजना संचालक राजगढ़ से तथा शेष सभी पी. एम.यू. की जानकारी संबंधित कछारों की जानकारी के साथ भेजा जाना है। इसी प्रकार बुंदेलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज की जानकारी मुख्य अभियंता, सागर एवं मुख्य अभियंता दतिया से उनके कछार की जानकारी के साथ भेजा जाना है। विवरण के अंत में इस वर्ष आपके कछार / कार्यक्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी बिंदुवार दर्ज कर भेजें।

प्रतिवेदन में प्रगतिरत सिंचाई कार्य, पूर्ण / प्रगतिरत परियोजनाओं के फोटोग्राफ्स भी वांछित है। इस हेतु पारंगत फोटोग्राफर के द्वारा खीचें गये नवीनतम उत्कृष्ट फोटोग्राफ्स (योजना का नाम व तिथि के विवरण के साथ) सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करें। वर्ष 2017–18 का प्रशासकीय प्रतिवेदन सुलभ संदर्भ हेतु विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। कृपया अवलोकन कर वर्ष 2018–19 हेतु आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारियां अद्यतन कर दिनांक 01.11.2018 तक साफ्ट कॉपी में ईमेल sem_wrd@yahoo.com पर भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः–एक प्रारूप

ह/–
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्रं. 3488047 / प्र.प्रति / 2018–19
भोपाल, दिनांक 06 / 10 / 2018

प्रतिलिपिः–

✓ वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित करने बाबत।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

6/10/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

(1) कमाण्ड क्षेत्र एवं पी.आई.एम.

अध्याय – तीन

3.2.3 कमाण्ड क्षेत्र विकासः–

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 23 परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत् 10.377 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र के विरुद्ध मार्च–2016 तक 4.315 लाख हेक्टर में वाटर कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण कार्य कराया जा चुका है। स्वीकृत 23 परियोजनाओं में से वैनगंगा, बाघ परियोजना एवं कुंवरचैन सागर परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के 0.71 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया गया, जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक 4.842 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया जा चुका है । परियोजनाओं के कमांड में फील्ड चैनल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :–

(राशि लाख में क्षेत्र हे.में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	सी.सी.ए. (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31.03.17 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2017–18 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2017 तक	वर्ष 2017–18 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)
1.	कोलार परियोजना	45087	8400.00	25895	2169	1259	0.00
2.	वैनगंगा परियोजना	112900	16729.34	112900	CSD का कार्य प्रगतिरत		0.00
3.	रानी अवंतीबाई लोधी सागर	157000	31162.40	56308	10000	6410	0.00
4	राजघाट नहर परियोजना	164789	38936.28	107994	17000	14353	0.00
5.	बरियारपुर परियोजना	38990	8541.60	24977	7000	3603	396.63
6.	कुवरचैन सागर	3700	614.072	3448	C.S.D. का कार्य प्रगतिरत		0.00
7.	हरसी बांध परियोजना	62675	15894.77	52992	3000	4231.00	3.00
8.	बाघ परियोजना	16600	2889.15	16600	C.S.D. का कार्य प्रगतिरत		0.00
9.	बाण सागर परियोजना	154687	59146.30	77012	32000	18620	1596.50
10.	सिंध वृहद परियोजना (फेस–II)	98250	39408.83	35987	36500	30195	0.00
11.	रेहटी मध्यम परियोजना	2194	825.68	919	1500	1071	0.00
12.	सिंहपुर परियोजना	6000	2255.00	2048	3352	3005	220.47
13.	महान वृहद परियोजना	16150	6056.33	4069	5200	4700	637.90
14.	बघरु मध्यम परियोजना	2250	846.51	2050	1500	1098	0.00
15	कछाल मध्यम परियोजना	3470	1304.87	3470	C.S.D. का कार्य प्रगतिरत		0.00
16.	संजय सागर (बाह)	9893	3705.64	1258	3000	1575	402.20
17.	महुअर मध्यम परियोजना	9500	3567.20	6304	2246	1770	528.4
18.	सगड मध्यम	9478	3551.22	1163	3000	3878	433.77

	परियोजना						
19.	पेंच डायवर्सन परियोजना	70918	26568.03	6028	11000	7350	860.20
20.	बिलगांव मध्यम परियोजना	9262	3470.34	2595	3500	2300	0.00
21.	थावर वृहद परियोजना	11105	4759.66	8389	1606	1606	0.00
22.	माही परियोजना	28127	12873.30	1060	10100	5200	871.66
23.	गुरमा मध्यम परियोजना	4714	1684.70	1819	2447	1222	0.00
	योग :–	**1037739**	**293191.22**	**555285**	**156120**	**113446**	**5950.73**

अध्याय – पाँच

5.2 संचालक, पी.आई.एम.

5.2.1 मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी

देश में मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठनों को कार्य करने हेतु स्वतंत्र एवं वैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है।

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन मे कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होने के पश्चात् प्रथम बार माह मई 2015 में 79 जल उपभोक्ता संथाओं एवं माह मार्च 2016 में 180 जल उपभोक्ता संथाओं तत्पश्चात् माह नवम्बर 2016 में 1765 जल उपभोक्ता संथाओं एवं मई 2017 में 21 जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य एवं अध्यक्षों के लिए निर्वाचन कराए गए हैं।

वर्तमान में कुल 2045 जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से 24.59 लाख हेक्टर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य सहभागिता से किया जा रहा है।

मई 2015 एवं मार्च 2016 में निर्वाचित 259 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्षों एवं सक्षम प्राधिकारियों को वाल्मी भोपाल के माध्यम से सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है । नवम्बर 2016 में निर्वाचित 1765 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सक्षम प्राधिकारियों को माह मार्च 2017 से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिनको वाल्मी भोपाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

विभिन्न परियोजनावार गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या एवं कमाण्ड क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का प्रकार	जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कमांड क्षेत्र (लाख हेक्ट.)
1	वृहद परियोजनाएं	723	14.03
2	मध्यम परियोजनाएं	209	3.35
3	लघु परियोजनाएं	1113	7.21
	योग	**2045**	**24.59**

मुख्य अभियंतावार जल उपभोक्ता संथाओं की जानकारी

स.क.	मुख्य अभियंता का नाम	जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
1	गंगा कछार, रीवा	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	223	2.13
5	राजघाट परियोजना, दतिया	141	2.53
6	यमुना कछार, ग्वालियर	221	4.54
7	नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	414	2.84
8	धसान केन कछार, सागर	236	2.10
	योग:–	**2045**	**24.59**

परियोजनावार जल उपभोक्ता संथाओं की जानकारी

स. क.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.स.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	*कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)*	*संख्या*	*कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)*	*संख्या*	*कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)*	*संख्या*	*कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)*
1	गंगा कछार, रीवा	70	1.44	14	0.21	90	0.75	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	108	2.02	57	0.77	232	1.59	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	176	3.04	15	0.25	48	0.37	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	16	0.28	45	0.84	162	1.00	223	2.13
5	राजघाट परियोजना, दतिया	134	2.47	3	0.03	4	0.02	141	2.53
6	यमुना कछार, ग्वालियर	164	3.97	16	0.30	41	0.27	221	4.54
7	नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	21	0.29	36	0.55	357	2.00	414	2.84
8	धसान केन कछार, सागर	34	0.52	23	0.39	179	1.20	236	2.10
	योगः–	**723**	**14.03**	**209**	**3.35**	**1113**	**7.21**	**2045**	**24.59**

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं (दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक) :–

1----------

2----------

अध्याय – तीन

3.5 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) वर्ष 2017–18

3.5.1 राज्य में सिंचाई, जल प्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जल संसाधनों के भंडारण हेतु बांधों का निर्माण किया गया है। ICOLD (International Commission on Large Dams) के मापदंड अनुसार म.प्र. में 906 बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इन बांधों के सुदृढीकरण, सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन सामयिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विश्वबैंक के सहयोग से देश के कुल 223 बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) परियोजना प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत संबंधित मुख्य अभियंताओं के प्रस्ताव अनुसार प्रारंभिक रूप से 50 बांधों का चयन केन्द्रीय जल आयोग तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत किया गया है ।

इस परियोजना में शामिल 50 बांधों हेतु प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत रू. 314.55 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.10 को प्रदाय की गई । मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2014 को 29 बांधों हेतु राशि रु. 173.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई। इस परियोजना को 6 वर्षो में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना में फंडिंग पेटर्न 80:20 (विश्व बैंक :राज्य) रखा गया है। दिनांक 21.12.2011 को विश्व बैंक के साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध किया जाकर दिनांक 18.04.2012 से परियोजना प्रभावशील हो गई है । परियोजना का कार्यकाल 6 वर्ष का है । परियोजना के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई हैं, अतः यह जून 2020 तक प्रभावी रहेगी । प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत बांधों में निर्धारित क्षमता तक भराव होने से सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि होगी एवं बांधों की सुरक्षा दीर्घावधि के लिए सुनिश्चित होगी । परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(अ) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण ।
(ब) बांध सुरक्षा की आधार भूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना ।
(स) बांधों के उन्नयनीकरण एवं सुधारात्मक कार्य करवाना ।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के आदेश कमांक एफ 22–10/2013/पी–1/इकतीस (01) दिनांक 29.07.2013 द्वारा बोधी के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति प्रदाय की गई है ।

ड्रिप में 25 बांधों का चयन अंतिम रूप से किया गया है । वर्तमान में परियोजना की लागत रु. 168.80 करोड़ सीमित हो गई है। सभी 25 बांधों की हाइड्रोलॉजी, केन्द्रीय जल आयोग एवं बोधी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । वर्तमान में 14 बांधों में सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 11 बांधों के सुधार कार्य प्रगति पर हैं । ड्रिप अंतर्गत मार्च 2017 तक रु. 103.16 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में दिसंबर 2017 तक रु. 8.95 करोड़ व्यय किये गये हैं ।

3.5.2 डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP-II) ड्रिप–2 :–

ड्रिप – 2 के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित 26 बांधों के लिए रु. 103.264 करोड के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को विश्व बैंक सहायतार्थ परियोजना अंतर्गत भेजे गये हैं ।

स.क्र.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ में)
1	भगवंत सागर (सुक्ता) परियोजना	17.743
2	वीरपुर तालाब परियोजना	7.410
3	चाँदेया तालाब परियोजना	1.109
4	चंदोरा परियोजना	2.680
5	चोरल परियोजना	3.500
6	देपालपुर तालाब परियोजना	2.720
7	डोकरी खेडा परियोजना	5.110
8	गांधीसागर परियोजना	14.563
9	हताईखेडा परियोजना	0.868
10	काचन तालाब परियोजना	5.140
11	काका साहेब गाडगिल सागर परि.	1.510
12	कलियसोत परियोजना	1.521
13	केरवा बाध परियोजना	1.127
14	कुडा तालाब परियोजना	1.332
15	माही परियोजना	9.041
16	मानसरोवरी तालाब परियोजना	2.074
17	मटियारी परियोजना	0.917
18	नदनवाश तालाब परियोजना	0.448
19	पोपलिया कुमार तालाब परियोजना	1.476
20	राजघाट परियोजना	3.165
21	रेतम बैराज	7.600
22	रूमल तालाब परियोजना	2.667
23	रूपनियाखाल तालाब परियोजना	4.555
24	साकल्दा तालाब परियोजना	0.430
25	टिल्लर परियोजना	4.480
26	वीरसागर तालाब परियोजना	0.078
	कुल योग	103.264

3.3 विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना :–

जल विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय, सुलभ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के आंकडों को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी का यथोचित उपयोग एवं प्रसार करना सम्मिलित है।

3.3.1 जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण :

जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण का कार्य क्षेत्र वैनगंगा, माही, एवं ताप्ती कछार में था। इसकी अवधि वर्ष 1995 से दिसम्बर 2003 तक थी। इसके अन्तर्गत वर्षामापी स्थल, गेज डिस्चार्ज स्थल, पूर्ण मौसम केन्द्र, सेंडिमेन्ट्री सर्वे मापन कार्य, सिल्ट प्रयोगशाला एवं जल गुणवत्ता प्रयोगशालायें नवीन तकनीक के अनुसार स्थापित कर उन्नत करने का कार्य एवं स्थापित उपकरणों से प्राप्त आंकड़ो का प्रमाणीकरण एवं विश्लेषण का कार्य किया गया।

3.3.2 जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण :

जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण का कार्य अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य मई 2014 निर्धारित किया गया था। योजना की कुल लागत रू. 14.90 करोड़ थी। योजना पूर्ण की जा चुकी है। परियोजना में मुख्यतः वास्तविक समय में जल संसाधनों का विकास तथा जलाशयों के संचालन के प्रबंधन में सुधार तथा विकास का कार्य किया गया।

3.3.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना :

भारत सरकार द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुल लागत रू. 3679.77 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य हेतु 90.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2016--24 तक आठ वर्षों की अवधि का होगा।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में मध्यप्रदेश के गंगा कछार (टोन्स, सोन, बेतवा, सिंध, केन धसान, एवं चंबल उप कछार) तथा नर्मदा कछार का आंशिक जल ग्रहण क्षेत्र तथा माही एवं ताप्ती कछारों के कार्यों को शामिल किया गया है। घटकों के अंर्तगत स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :--

Component	Description of Project Component	Grant Share in Rs. Crores		
		World Bank	MOWR GoI	Total
A	Water Resources Data Acquisition System (जल संसाधन डाटा अधिग्रहण प्रणाली)	27.00	27.00	54.00
B	Water Resources Information System (WRIS) (जल ससाधन सूचना प्रणाली)	2.25	2.25	4.50
C	Water Resources Operation and Planning System (जल ससाधन सचालन एवं योजना प्रणाली)	6.25	6.25	13.50
D	Institutions Capacity Enhancement (संस्थागत क्षमता सवर्धन / विकास)	9.00	9.00	18.00
	TOTAL	**45.00**	**45.00**	**90.00**

उपकछारों में जल बहाव, वर्षा, भूजल आदि के वास्तविक समय के आंकड़ों का एकत्रीकरण (RTDAS) कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाएंगे, जिसका उपयोग प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकन के युक्तियुक्तकरण करने में सहायक होगा। उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य में जल विज्ञान अनुसंधान हेतु विभाग के साथ-साथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा।

अध्याय – पाँच
विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 बाँध सुरक्षा संगठन–

बाँध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बाँधों का निरीक्षण कर बाँधो की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बाँधो को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बाँधो के सुधारों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष, सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता, सदस्य तथा संचालक, बाँध सुरक्षा उसके सचिव नियुक्त किऐ गए है।

5.1.1 बाँध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्यः–

- बाँध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
- राज्य स्तरीय बाँधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बाँधो के निरीक्षण प्रतिवेदनों की परिवीक्षा करना तथा इनके आधार पर बाँधो की स्थिति के संबध में प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त बडे बाँधों का प्रथम चरण निरीक्षण 5 वर्षों के अन्तराल में किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अनुशंसा करना।
- बड़े बाँधो जिनकी ऊंचाई 15 मी. से अधिक या जल क्षमता 60 मि.घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाना।
- निर्माणाधीन समस्त बड़े बाँधो के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। संपूर्ण बड़े बाँधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, की परिवीक्षा करना।
- बडे बाँधो में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ो का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- बांध सुरक्षा समिति द्वारा प्राथमिकता अनुसार बांधों के द्वितीय चरण सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना।
- बांध में बड़ी आपदा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों को सहयोग करना, विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के लिए कार्यवाही करना तथा उक्त पैनल के सुझावों को समन्वित करना। पैनल द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण कार्य में समन्वय करना तथा पैनल को प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देना।
- राज्य के समस्त बडे बाँधो की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बाँध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।

बाँध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिये बांध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख–रखाव, संचालन तथा आपात कालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.4 जल मौसम विज्ञान संचालनालय :–

मध्यप्रदेश में जल मौसम विज्ञान संरचना की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल मौसम विज्ञान के अंतर्गत स्थापित विभिन्न वर्षा मापी केन्द्रों जल प्रवाह मापन स्थलों एवं मौसम केन्द्रों से आंकड़े एकत्रित करना एवं उनका उपयोग विभागीय कार्यों हेतु करना है ।

इन कार्यों के सम्पादन हेतु सर्वप्रथम विभागीय मद से प्रदेश के विभिन्न कछारों में जल मौसम विज्ञान स्थलों की नेटवर्क की स्थापना वर्ष 1981 में शुरु की गई थी । इसके पश्चात् विश्व बैंक की सहायता से जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत 1995 से 2003 तक माही, ताप्ती एवं वैनगंगा कछारों में स्थापित जल मौसम विज्ञान केन्द्रों का उन्नयन एवं कुछ नये कार्यस्थल स्थापित किये गये । जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती एवं माही कछार में डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये हैं । जल मौसम के हर घंटे के ऑकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाइम डाटा एक्विजीशन सिस्टम (RTDAS) वैनगंगा कछार में स्थापित किया गया । इस प्रणाली के अंतर्गत 29 वर्षामापी, 3 पूर्ण मौसम केन्द्र एवं 14 वाटर लेवल रिकार्डर स्थापित किया गया । RTDAS का सम्पूर्ण डाटा भोपाल स्थित डाटा सेंटर में प्राप्त हो रहा है ।

5.3 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय :–

विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 मे किया गया। इसके अंतर्गत भोपाल (हथाईखेड़ा) में एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1970 में की गई । तदोपरान्त वर्ष 1985 में यू.एस.ए.आई.डी. के अंतर्गत भोपाल प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया एवं जबलपुर में अस्थायी मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला प्रारम्भ की गयी, जो कि वर्ष 1988 से स्थयी रूप से संचालित है।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं धातु परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत हैं । वर्तमान में संचालनालय मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल के अधीन कार्यरत है। संचालनालय, सिंचाई अनुसंधान के अधीन म.प्र. के अंतर्गत निम्नानुसार तीन प्रयोगशालायें कार्यरत हैं :–

1. जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल ।
2. मिट्टी, धातु एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल ।
3. मिट्टी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, जबलपुर

I. संचालनालय के अंतर्गत प्रयोगशालाओं में निम्नानुसार मैदानी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान किया जाता है :–

(A) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :–

1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफारमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना ।
2) प्रस्तावित एनर्जी डिसीपेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना।
3) निर्माणाधीन परियोजना का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।
4) परियोजना के गेट आपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।
5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।
6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।

वर्ष 2017–18 में निम्न परियोजनाओं के मॉडल अद्यतन कर रिपोर्ट प्रेषित की गयीः–

1. मोहनपुरा परियोजना की गेट ऑपरेशन स्टडी रिपोर्ट ।

(B) मिट्टी, पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल एवं जबलपुर :–

1) परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना ।
2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं ।
3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व काम्पेक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आंकलन करना ।
4) सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी की मात्रा का मिक्स डिजाइन द्वारा विभिन्न ग्रेड की कांक्रीट हेतु निर्धारण करना ।
5) पक्के बांधों से होने वाले जल रिसाव के रासायनिक परीक्षण करने का कार्य ।

वर्ष–2017–18 में संपादित परीक्षण का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	मिट्टी परीक्षण (कुल नमूने)	रेत परीक्षण (कुल नमूने)	धातु परीक्षण (कुल नमूने)	सीमेंट परीक्षण (कुल नमूने)	कुल नमूने
1.	मिट्टी/धातु परीक्षण संभाग, भोपाल	1008	69	296	796	2163
2.	मिट्टी/धातु परीक्षण संभाग, जबलपुर	147	–	54	–	201

II. हथाई खेड़ा प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण :–

हथाईखेड़ा प्रयोगशाला में मिट्टी एवं धातु परीक्षण तथा रसायन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

5.5 भू–जल सर्वेक्षण ईकाई:–

भूजल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन 1970 से भूजल के सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना में मुख्य अभियंता बोधी के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल जो कि चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 23 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों तथा चार रसायनिक प्रयोगशालाएँ सागर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल तथा अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर तीन संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय जबलपुर, बालाघाट, रीवा तथा 14 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों के साथ एवं तीन रासायनिक प्रयोगशालाओं जबलपुर, बालाघाट एवं सतना के साथ भूजल सर्वेक्षण, अध्ययन, भूजल विकास एवं भूजल विश्लेषण का कार्य कर रहा है ।

भू–जल सर्वेक्षण संरचना के नियमित कार्य:–

भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 5071 स्थायी अवलोकन कूप एवं 540 पीजो मीटर हैं । इस संरचना द्वारा भूजल स्तर मापन एवं अध्ययन का कार्य वर्ष में चार बार 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम के दौरान) 20 से 30 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) एवं 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।

1. पीजोमीटर में भूजल स्तर का मापन कार्य प्रतिमाह किया जाता है ।
2. भूजल नमूनों का एकाकीकरण एवं विश्लेषण कार्य वर्ष में दो बार 20–30 मई (वर्षा पूर्व) 01 नवंबर से 10 नवंबर (वर्षा पश्चात्) किया जाता है ।
3. भूजल आंकलन प्रतिवेदन प्रति दो वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है ।

4. कूप एवं नलकूप खनन हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु भू–भौतिकी सर्वेक्षण कार्य किया जाता है ।
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत एच.पी.–1 और एच.पी.–2 में हुए कार्यों का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है ।

भूजल सर्वेक्षण संरचना की प्रस्तावित योजनायें :–

(1) अटल भूजल योजना (ABHY)

इस योजना के अंतर्गत बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 5 जिले सागर, दमोह पन्ना छतरपुर एवं टीकमगढ के 9 विकासखण्ड (सभी ब्लाक सेमीक्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं) में भूजल के संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियॉ ली जाना प्रस्तावित हैं ।

क्र.	जिला	विकासखण्ड
1	सागर	सागर
2	दमोह	पथरिया
3	पन्ना	अजयगढ
4	छतरपुर	छतरपुर, नैगॉव एवं राजनगर
5	टीकमगढ़	निवाडी, बलदेवगढ़ एवं पलेरा

वर्तमान में योजना में केन्द्र सरकार द्वारा EFC अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलन में है ।

(2) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-HKKP-GW) :–

इस योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी कम्पोनेंट में भूजल के उपयोग से कुऍ एवं ट्यूबवेल इत्यादि खोदकर सिंचाई किये जाने बाबत् भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर योजना प्रस्तावित की गई है, इस योजना अर्थात् (PMKSY-HKKP-GW) में कार्य करने हेतु ऐसे पांच जिलों का चयन किया गया है, जहॉ वर्तमान में सिंचाई कम है । यह जिले हैं :– 1. मण्डला, 2. डिंडोरी, 3. उमरिया, 4. शहडोल, 5. पन्ना ।

वर्तमान में इस योजना में कियान्वयन संबंधी सहमति तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन की कार्यवाही अपेक्षित है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ (दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक) :–

1----------

2----------

अध्याय – तीन

कछार के अधीन परियोजनाएं :

कछार के अधीन वर्तमान में ..... वृहद्, ...मध्यम तथा ..... लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से मार्च 2018 तक लगभग ..... लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है।

1. वृहद परियोजनायें :

कछार में दिसंबर 2018 तक ..... वृहद् परियोजनाएं पूर्ण की चुकी है। निम्न .....वृहद् परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :–

निर्माणाधीन वृहद परियोजनाएं :–

(राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेसराईज्ड पाईप/नहर एवं प्रेसराईज्ड दोनों)
						बाँध	नहर		
1									
2									

प्रस्तावित वृहद परियोजनाएं :

(राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेसराईज्ड पाईप/नहर एवं प्रेसराईज्ड दोनों)
1						
2						

चिन्हित वृहद परियोजनाएं :

राशि रु.करोड मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेसराईज्ड पाईप/नहर एवं प्रेसराईज्ड दोनों)
1						
2						

ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernization) हेतु स्वीकृत वृहद परियोजनाएं

राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (%)	पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)
1					
2					

2. मध्यम परियोजनाएं:

कछार में दिसंबर 2018 तक ..... मध्यम परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न ..... मध्यम परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :–

निमार्णाधीन मध्यम परियोजनाएँ :–

राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/ वर्ष)	अनुमानित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेसराईज्ड पाईप/नहर एवं प्रेसराईज्ड दोनों)
						बॉध	नहर		
1									
2									

प्रस्तावित मध्यम परियोजनाएँ :–

राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेसराईज्ड पाईप/नहर एवं प्रेसराईज्ड दोनों)
1						
2						

चिन्हित मध्यम परियोजनाएं:

राशि रु.करोड़ मे, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमानित सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेसराईज्ड पाईप/नहर एवं प्रेसराईज्ड दोनों)
1						
2						

ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation) हेतु स्वीकृत मध्यम परियोजनाएं

स.क्र.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रु.करोड़)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (%)	पूर्णता का लक्ष्य
1					
2					

3. लघु सिंचाई योजनाए :–

कछार मे दिनाक 31.03.2018 तक .... एवं दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक .... लघु परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न .... लघु परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :–

स. क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में	स.क	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
1	मुरैना				27	छिंदवाड़ा			
2	शिवपुरी				28	डिंडोरी			
3	श्योपुर				29	जबलपुर			
4	भिण्ड				30	मंडला			
5	अशोकनगर				31	सिवनी			
6	दतिया				32	कटनी			
7	भोपाल				33	नरसिंहपुर			
8	गुना				34	छतरपुर			
9	रायसेन				35	दमोह			
10	सीहोर				36	सागर			
11	विदिशा				37	निवाड़ी			
12	बैतूल				38	टीकमगढ़			
13	होशंगाबाद				39	अनूपपुर			
14	अलीराजपुर				40	रीवा			
15	बड़वानी				41	सिंगरौली			
16	बुरहानपुर				42	सतना			
17	देवास				43	शहडोल			
18	धार				44	सीधी			
19	इंदौर				45	उमरिया			
20	झाबुआ				46	राजगढ़			
21	आगर मालवा				47	पन्ना			
22	खण्डवा				48	उज्जैन			
23	खरगौन				49	हरदा			
24	नीमच				50	ग्वालियर			
25	रतलाम				51	बालाघाट			
26	मंदसौर				52	शाजापुर			
					कुल :–				

अतिरिक्त निर्मित सिंचाई क्षमता एवं सिंचित क्षेत्र

दिनांक 31.03.2018 तक कछार अंतर्गत कुल सिंचाई क्षमता.....हे. निर्मित की जा चुकी है। इस वर्ष 2018–19 (01.04.2018 से दिसंबर 2018 तक) कुल .....हे. क्षमता निर्मित की जा चुकी है। इस वर्ष माह अप्रल 2018 से दिसंबर 2018 तक निर्मित की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना की श्रेणी (वृहद/मध्यम/लघु)	जिला	वर्ष 2018–19 (01.04.2018 से 31.12.2018 तक) निर्मित सिंचाई क्षमता, हेक्टेयर में
1				
2				

सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ :–

सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 26.04.2016 को समिति का गठन किया गया । समिति की प्रथम बैठक दिनांक 21.07.2016 को नई दिल्ली में आयोजित हुई । इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–11–09/2017/1/9 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई मिशन का गठन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग की अध्यक्षता मे किया गया ।

कछार में उपलब्ध जल की सीमित मात्रा को देखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा माइक्रो सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है । इन योजनाओं से प्रवाह सिंचाई द्वारा सिंचित क्षेत्र से उच्च स्तर पर स्थित क्षेत्र में भी सिंचाई करना संभव है तथा सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता भी लगभग आधी (50 प्रतिशत) है । जल के कुशल उपयोग होने से फसलों को जल अधिकता से होने वाली हानि से भी बचाव होता है तथा प्रति हेक्टर अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है ।

कछार में वर्तमान में कुल ..... वृहद एवं ..... मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं । इनके पूर्ण होने पर प्रेसराईज्ड सिंचाई द्वारा वृहद से ..... हेक्टर एवं मध्यम से ..... हेक्टर, कुल ..... हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी ।

निर्माणाधीन सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं :–

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	कुल सिंचाई क्षमता	प्रेसराईज्ड पाईप प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्र	*नहर प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्र	रिमार्क
1						
2						

* *वे योजनाएं जिनमें प्रेसराईज्ड प्रणाली के साथ–साथ नहर द्वारा भी सिंचाई प्रस्तावित है, का सिंचित क्षेत्र।*

पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.):–

विगत 7 वर्षों से पूर्व निर्मित लघु सिंचाई योजनाओ के सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नस्थापना का कार्य किया जा रहा है । यह कार्यकम हर खेत को पानी योजना का घटक है । इसके अंतर्गत वर्ष 2011 से मार्च 2018 तक कुल ..... परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से ..... परियोजनाओं का सुधार, सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। इससे लगभग ..... हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति की गई है ।

वर्तमान में ..... योजनाओं के कार्य निर्माणाधीन है। इसमें से ..... योजनाओं के कार्य (अप्रेल2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में) भौतिक रूप से पूर्ण कर ..... हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति की गई है। वर्ष 2018–19 (दिसंबर 2018 तक) ..... नवीन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिनसे ..... हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुर्नप्राप्ति होगी।

नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाएं :–

नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है

सण्क	योजना का नाम	जिला	चरण	लागत (रू लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	नाबार्ड स्वीकृत राशि (रू लाख में)	खुल व्यय (रू लाख में)
1							
2							

बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज :–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना टीकमगढ़ एवं दतिया जिले है । इस क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार के द्वारा वर्ष–.....में राशि रु .....करोड़ का प्रथम चरण एवं वर्ष–..... में राशि रु. ..... करोड़ का द्वितीय चरण में विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है । प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में राशि रु .....करोड निवेश किया जा चुका है ।

प्रथम चरण :–

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि (रू. करोड़)	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	2017.18 में रबी सिंचाई (हेक्टर में)	प्रगति
1						
2						

द्वितीय चरण :–

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड़	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	प्रगति
1					
2					

<u>महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ</u> (दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक) :–

1----------

2----------